

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2580 / 2021

दिनांक : 26.11.2021

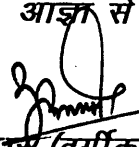
डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया (RJ0357), तत्कालीन विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, सीकर हाल न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सीकर को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

01. दिनांक 16.10.2021 से 17.10.2021 तक 02 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 13.10.2021 से 15.10.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित।

02. दिनांक 18.10.2021 से 23.10.2021 तक 06 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 24.10.2021 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित।

डॉ. अटवासिया की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-02, सीकर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, सीकर के पद पर ही की गई।

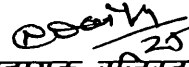
आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 25-11-2021

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/63/2000/7295

दिनांक : 26.11.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर को उनके पत्रांक 5945 दिनांक 26.10.2021 के सन्दर्भ में।
3. डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया (RJ0357), न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सीकर।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, सीकर।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-02, सीकर।


सहायक रजिस्ट्रार 25/11/21